उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-35/2018-19

टीकलाल मिर्धा एवं अन्य

बनाम्

मो0 प्यारी

-: आदेश :-

दिनांक 24/8/21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्व कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–57/2015–16 के आदेश दिनांक–27.08.2018 के विरूद्ध अपीलकर्त्ता चतुर मिर्धा, पे0–स्व0 रंगलाल मिर्धा, सा0–नुनबट्टा, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के द्वारा दाखिल किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा–नुनबट्टा जमाबंदी सं0–35 दाग नं0–1786 रकवा 00–03–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया है।

प्रक्रिया चलने के दरम्यान अपीलकर्त्ता की मृत्यु होने के कारण टीकलाल मिर्धा वो सहदेव मिर्धा वो मुकेश मिर्धा, पे0–स्व0 चतुर मिर्धा को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन हे कि निम्न न्यायालय में उत्तरवादी की ओर से दाखिल आवेदन में चौहदी अंकित नहीं किया गया है और आवेदन में चौहदी अंकित नहीं होने के कारण आदेश का पालन करने में कानूनी दृष्टि कोण से कमी रह गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश सही नहीं है। उनका आगे कथन है कि मौजा–नुनबट्टा के जमाबंदी सं0–35 के दाग नं0–1786 रकवा 00–03–00 धुर के आंशिक जमीन पर इंदिरा आवास से अपीलकर्त्ता का पक्का का मकान बना हुआ है। उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के पूर्वज को 1935 ई0 में प्राप्त हुआ है और शपथ पत्र में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता का मकान बना हुआ है एवं उसपर अपीलकर्त्ता सपरिवार निवास कर रहें हैं। ऐसी स्थिति में मानवीय दुष्टिकोण से भी आवासीय मकान से उच्छेद करना उचित नहीं है। उन्होंने निम्न

न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–नुनबट्टा जमाबंदी सं0–35 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा मं शनिचर मिर्धा वगैरह के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी मो0 प्यारी जमाबंदी रैयत शनिचर मिर्धा की पतोहु है। अपीलकर्त्ता बाहरी व्यक्ति है। अपीलकर्त्ता ने अवैध ढंग से उक्त जमाबंदी सं0–35 के दाग नं0–1786 रकवा 00–03–00 धुर जमीन को कब्जा किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–761/रा0 दिनांक–30.04.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–नुनबट्टा थाना नं0–538 के जमाबंदी नं0–35 जमाबंदी रैयत चुडू मिर्धा वल्द चौधरी मिर्धा वो शनिचर मिर्धा वो दुखु मिर्धा पे0–जहल मिर्धा वो हारू मिर्धा वल्द फुलचंद मिर्धा कौम डोम कहकर खतियान में दर्ज है। गत जमाबंदी रैयत का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है:–

शनिचर मिर्धा
↓
गिरचन मिर्धा
↓
गुड़ा मिर्धा
↓
मो0 प्यारी

उनका आगे प्रतिवेदन है कि चतुर मिर्धा इस जमाबंदी के जमाबंदी रैयत से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। उक्त जमाबंदी नं0 के दाग नं0–1786 पर चतुर मिर्धा का मकान है। लेकिन चतुर मिर्धा के द्वारा किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–नुनबट्टा थाना नं0–538 के जमाबंदी सं0–35 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में चुडू मिर्धा वल्द चौधरी मिर्धा वो शनिचर मिर्धा वो दुखू मिर्धा पे0–जहल मिर्धा वो हारू मिर्धा वल्द फूलचंद मिर्धा के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता का जमाबंदी रैयत से किसी

प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त जमाबंदी के दाग नं0–1786 की जमीन पर अपीलकर्त्ता का मकान बना हुआ हैं। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा न तो प्रतिकुल प्रभाव से दखल होने का किसी प्रकार कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अपील वाद गत जमीन के जमाबंदी रैयत से संबंध होने का साक्ष्य दाखिल किया है। ऐसी स्थिति में यह अवैध हस्तान्तरण क़ा मामला प्रतीत होने के कारण निम्न न्यायालय का पारित आदेश विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–57/15–16 में दिनांक–27.08.18 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

27.03.2021

लिखाया एवं शुद्ध किया।

24/03/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

24/03/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen 07/04/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 12:01:52 +05:30
Location: 192.168.29.32